संख्या-1002/1-10-2014-12(67)/13टी0सी0-3

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 16 फरवरी, 2015

विषय: वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना हेतु अवशेष धनराशि का राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2013-14 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु शासनादेश संख्या-174/1-10-2014-12(67)/2013टी0सी0-1, दिनांक 24.02.2014 द्वारा जिला स्तरीय आपदा राहत समिति से अनुमोदित जिला पंचायत के 34 कार्यों हेतु रू0 1489.65 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 744.825 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। अब आपके पत्र संख्या-296/राहत लिपिक/2014-15, दिनांक 31.10.2014 द्वारा किये गये अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुये उक्त 34 कार्यों में से 04 कार्य (बॉसी मेहदावल मार्ग से डवरा मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य, सूपा चेतिया मार्ग पर नगंवा गॉव में नन्द कुमार पाण्डेय के घर तक लेपन मरम्मत कार्य, सेमरहवा से छितौली तक लेपन मरम्मत कार्य एवं छितौनी से डाड़ीडीहा तक लेपन मरम्मत कार्य) को छोड़ते हुये शेष 30 कार्यों के लिए अवशेष धनराशि रू0 6,62,10,500/- (रूपये छः करोड़ बासठ लाख दस हजार पॉच सौ मात्र) द्वितीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न कार्यों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	द्वितीय किश्त के रूप में आवंटित धनराशि (लाख में)
1	मधुबेनिया गौरा मार्ग से तलपुरवा गॉव वर्डपुर नं0 तक लेपन मरम्मत कार्य।	20.535
2	बसौनी से बचडी सेमरीयॉव तक लेपन मरम्मत कार्य।	21.275
3	बजहा से मुडिला तक लेपन मरम्मत कार्य।	21.475
4	रमवापुर से भरौली गॉव तक पिच रोड मरम्मत कार्य।	24.36
5	वर्डपुर अलीगढ़वा मार्ग से पंडितपुर तक लेपन मरम्मत कार्य।	24.24
6	वर्डपुर अलीगढवा मार्ग से ठकुरापुर तक लेपन मरम्मत कार्य।	21.405
7	उसका भठिया मार्ग लेपन मरम्मत कार्य।	21.835
8	ग्राम. महथावल से गढ़मौर होते हुए सिकरी वखरिया तक लेपन मरम्मत कार्य।	21.79
9	कटया से मिटिया मार्ग का लेपन मरम्मत कार्य।	13.765
10	शाहपुर सिंगारजोत मार्ग से पडिया सम्पर्क के सरोथर	24.95

	कठौतिया मार्ग का लेपन मरम्मत कार्य।	
11	फत्तेपुर गॉव में मन्नी जोत चौराह से खुरपहवा फत्तेपुर मार्ग का लेपन मरम्मत कार्य।	20.80
12	शाहपुर सिंगारजोत मार्ग पर मुबारकपुर उर्फ फलफली तक मार्ग का लेपन मरम्मत कार्य।	24.745
13	डुमारियागंज बस्ती मार्ग पर टेलीफोन एक्सचेन्ज के बगल में एस0डी0एम0 न्यायालय तक लेपन मरम्मत कार्य।	24.57
14	महुआरा से चौकनिया मार्ग तक लेपन मरम्मत कार्य।	24.935
15	रूधौली मुख्य मार्ग से चौकनिया तक लेपन मरम्मत कार्य।	24.62
16	वयारा से परसपुर चौरा जब्बार डीह सम्पर्क मार्ग लेपन मरम्मत कार्य।	21.61
17	डुमारियागंज उतरौला पी0डब्लू0डी0 रोड से चौरा वनगवा तक लेपन मरम्मत कार्य।	21.28
18	नऊवा गॉव से बिलवट तक पिच मरम्मत कार्य।	24.445
19	खरखट्टी चौराहे से अमीना तिवारी होते हुए पेंदा तक पिच मरम्मत कार्य।	24.57
20	अजगरा से अमौनी पाण्डे सोनहटी रूधौली मार्ग का लेपन मरम्मत कार्य।	24.90
21	गरदहिया बिशुनपुर मार्ग का लेपन मरम्मत कार्य।	24.865
22	पिरैला बनकटी मार्ग का लेपन मरम्मत कार्य।	24.645
23	भवानीगंज भंसौसहिया मार्ग का लेपन मरम्मत कार्य।	24.385
24	बॉसी धानी मार्ग से बंजरहा बुजुर्ग तक लेपन मरम्मत कार्य।	15.49
25	मरहठा पनधटिया मार्ग से दायें तरफ सीता के बाग से स्कूल तक काली मन्दिर तक पिच मरम्मत कार्य।	20.905
26	ग्राम मदुआपार से पनघटिया तक लेपन मरम्मत कार्य।	19.72
27	प्रधानमंत्री सड़क से मदुआपुर जाने वाले मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य।	19.72
28	बॉसी बस्ती मार्ग से छोटकी करही से कवरा मे पिच मरम्मत कार्य।	15.995
29	भटपुरवा से धौरहरा तक लेपन मरम्मत कार्य।	24.01
30	मनिकौरा से मरझा तक लेपन मरम्मत कार्य।	20.265
	योग	**662.105**

2 - बॉसी मेहदावल मार्ग से डवरा मार्ग पर लेपन मरम्मत कार्य ,सूपा चेतिया मार्ग पर नगंवा गॉव में नन्द कुमार पाण्डेय के घर तक लेपन मरम्मत कार्य ,सेमरहवा से छितौली तक लेपन मरम्मत कार्य एवं छितौनी से डाड़ीडीहा तक लेपन मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में विशेष सचिव राजस्व की अध्यक्षता में गठित जॉच दल द्वारा पायी गयी कमियों के निराकरण के पश्चात् धनराशि दिये जाने पर विचार किया जायेगा। उक्त के साथ जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व जिला स्तरीय समिति तकनीकी समिति से जॉच कराकर संतुष्ट हो लें कि प्रथम किश्त से कराया गया कार्य आगणन एवं मानक के अनुरूप है।

3- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूव होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक '' 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा ।

कर्तव्य है । अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20.06.2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2015 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

10- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

11- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीया,
16/1/2015
(लीना जौहरी)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या:-1002(1)/1-10-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख सचिव, पंचायतीय राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3 निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- आयुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती ।
5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
7- उप निदेशक सामान्य एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।
9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सिद्धार्थनगर ।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(मदन मोहन)
अनु सचिव ।

4- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यो के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/12, दिनांक 25.10.2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यो की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटन की प्रक्रिया/मार्ग निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-70/1-10-2014-33(94)/2014, दिनांक 23.01.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराते हुये विषयगत मामले/सन्दर्भित कार्यो के बारे में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की जा रही है कि उक्त कार्यो को कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 23.01.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

5- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश संख्या-2785/1-10-2011/12(73)/2008, दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21.06.2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01.03.2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

6- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यो की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जोगा।

7- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

8- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है । यह स्थिति उचित नहीं है । निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का